फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

बलवीरसिह बनाम **भूपसिह**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 82 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.2020	प्रार्थी / सायल की ओर से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण / गैरसायलान इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा 10 जेएसएन के प0न0358 / 393(48) किला न0 8 / 0.253हैक्ट में प्रार्थी के के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाई रखी जावे। रास्ते खाला पर स्थगन आदेश लागू नही होगा। यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधारिंत तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायइी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 14.09.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
31.7.20	वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई वकील वादी ने निवेदन किया कि सायल ने किला नं 8 जो सायल की भूमि में प्रवेश नहीं रोक का स्थगन चाहा था स्थगन आदेश रिकार्ड की यथास्थिति को हुआ सायल स्वयं रिकार्ड खातेदार है इस स्थगन से गैरसायल पाबन्द नहीं होता है गैरसायल सायल के कब्जा काश्त में दखल के लिये स्वतन्त्र है गैरसायल को सायल	

Scanned with CamScanner

के कब्जा कायम की भूमि की रिपोर्ट की यथास्थिति अर्थात ओरलगायत सायल के बिला नं 8 में दखल नहीं करे।

इससे पत्रावली का अवलोकन किया कार्यालय द्वारा दिनांक [illegible] को रिपोर्ट की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया गया था। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सायल ओरलगायत मुस्तरका खातेदार है व सायल ने भूमि नरसी बैनामा खरीद की थी व कब्जा बिला नं 8/0.253 है परबेग जाहिर कर कब्जा कायम में ओरलगायत दखल को देने हेतु ओरलगायत को पाबन्द करना चाहिए।

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः ओरलगायत संख्या 1,2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ओरलगायत नं. 1,2 सायल मौजा [illegible] के ख0नं0 350/393 ([illegible]) बिला नं 8/0.253 की भूमि में किसी प्रकार से मदाखलत बेजा आगामी ता: पेशी तक न करे यदि किसी प्रकार का तकरार हो तो न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करे ओरलगायत के खिलाफ सम्मन जारी हो। पत्रावली दि 14/9/20 को पेश हो।

14/9/20 वकील सायल उपस्थित निवेदन किया कि वह अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहता खारिज किया जावे।

सायल स्वयं के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

प्रार्थना पत्र चलाना नहीं चाहते [illegible]